दिल्ली परिवहन निगम
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
राजभाषा विभाग (मुख्यालय)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट : नई दिल्ली–110002

सं0 रा0भा0वि0/हि0प0/2024/107 दिनांक: 20.09.2024

परिपत्र

विषय : हिन्दी पखवाड़ा, 2024 के दौरान हिन्दी निबन्ध एवं हिन्दी सुलेख प्रतियोगिताएँ।

दिल्ली परिवहन निगम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्यालय कार्य हिन्दी भाषा में करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निगम में दिनांक 14–09–2024 से 28–09–2024 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया जा रहा है। इस दौरान राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 25–09–2024 (दिन बुधवार) को हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता तथा दिनांक 26–09–2024 (दिन बृहस्पतिवार) को हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में चतुर्थ श्रेणी से लेकर अधिकारी तक सभी भाग ले सकते हैं। हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट का होगा तथा अंक 100 होंगे तथा हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का समय डेढ़ घण्टा तथा अंक 100 होंगे। निबन्ध कम–से–कम 400 शब्दों का होना आवश्यक है। ये दोनों प्रतियोगिताएँ पीरागढ़ी डिपो, नन्द नगरी डिपो तथा इन्द्रप्रस्थ डिपो में 11:00 बजे से सायं 16:00 बजे तक (सुलेख के लिए 5–5 मिनट के अन्तराल में तथा निबन्ध के लिए 1:30 घण्टे के अन्तराल में) होंगी। इस सम्बन्ध में पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति–पत्र आदि के बारे में नियम एवं शर्तें साथ संलग्न की जाती हैं।

सभी विभाग प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबन्धकों, डिपो प्रबन्धकों, व यूनिट/अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय से जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। प्रतियोगिता स्थल अर्थात् पीरागढ़ी डिपो एवं नन्दनगरी डिपो के डिपो प्रबन्धकों से अपेक्षित है कि वे उक्त तिथियों को इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का यथोचित सहयोग करें।

यूनिट/अनुभाग अधिकारी इन प्रतियोगिताओं का प्रचार केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी कराने का कष्ट करें। हिन्दी अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा चयन समिति के सदस्य इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोटः 1– प्रतियोगिता में अभ्यर्थी को स्वयं परीक्षास्थल पर उपस्थित होना होगा।
2– प्रतियोगिता में मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक गैज़ेट/उपकरण व स्मार्ट वाच का प्रयोग वर्जित है।
3– अभ्यर्थी प्रतियोगिता में नीले रंग के बॉल पेन का प्रयोग करें और उसकी व्यवस्था स्वयं करेंगे।
4– अभ्यर्थी को दिल्ली परिवहन निगम से कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

संलग्न : नियम एवं शर्तें

(पवन कुमार बंगड)
उप मुख्य महाप्रबंधक (हिन्दी)

सभी विभाग प्रमुख
सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक
सभी डिपो प्रबन्धक/यूनिट/अनुभाग अधिकारी
सभी नोटिस बोर्ड

प्रतिलिपि :– प्रबन्धक (आई0टी0) मुख्यालय को दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

विषय : दिल्ली परिवहन निगम में "हिन्दी पखवाड़ा" (14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2024) के दौरान हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजनः

1– हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताः– (400 शब्दों या 40 पंक्तियों का होगा)

इस प्रतियोगिता में अधिकारियों/कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर तीन वर्ग बनाये गए हैं जो निम्न हैं :–

समयः– 1:30 घण्टा अंक–100

- वर्ग "क" स्नातक तथा स्नातक स्तर से अधिक।
- वर्ग "ख" स्नातक स्तर से कम।
- वर्ग "ग" सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो)।

पुरस्कार तथा प्रशस्ति–पत्र :–

प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः रू0 4,000/–, रू0/– 3,000/– तथा रू0 2,000/– की राशि देने का प्रस्ताव है। शेष सभी सफल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए जायेंगे।

क्र0 सं0	नकद पुरस्कार	अधिकारियों/ कर्मचारियों	पुरस्कार राशि (रू0)	कुल पुरस्कार राशि (रू0)
1	प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या	3	4,000	12,000.00
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	3	3,000	9,000.00
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	3	2,000	6,000.00

2– हिन्दी सुलेख प्रतियोगिताः–

इस प्रतियोगिता में अधिकारियों/कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर दो वर्ग बनाये गए हैं जो निम्न हैं :–

समयः– 5 मिनट

अंक 100

- वर्ग "क" अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए।
- वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए।

क्र0 सं0	नकद पुरस्कार	अधिकारियों/ कर्मचारियों	पुरस्कार राशि (रू0)	कुल पुरस्कार राशि (रू0)
1	प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या	2	4,000	8,000.00
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	2	3,000	6,000.00
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	2	2,000	4,000.00

राजभाषा विभाग (मुख्यालय)

हिन्दी निबंध एवं हिन्दी सुलेख प्रतियोगिताओं के लिए नियम व शर्तेः-

1- इन प्रतियोगिताओं में केवल निगम के अधिकारी/कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं।

2- हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर तीन वर्ग अर्थात् "क", "ख" व "ग" बनाये गये हैं।

"क" वर्ग में स्नातक तथा स्नातक से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे।

"ख" वर्ग में स्नातक के कम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे।

"ग" वर्ग में केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल होंगे।

नोटः- तीनों वर्गो के लिए निबन्ध का विषय अलग-अलग होगा। निवन्ध लिखने का समय डेढ़ घण्टा तथा 100 अंक होंगे। इसके अतिरिक्त निबंध कम से कम 400 शब्दों में लिखा जाए तथा भाषा सरल, स्पष्ट एवं विषयानुकूल हो।

3- हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता के लिए दो वर्ग "क" व "ख" बनाए गए हैं।

"क" वर्ग में अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

"ख" वर्ग मे केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

4- प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को क्रमशः रू0 4,000/-, रू0 3,000/- एवं रू0 2,000/- की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाएंगे। अन्य उत्तीर्ण प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।

5- प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान तथा उत्तीर्ण प्रतियोगियों का चयन मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद/शिकायत के निपटान के बारे में उप मुख्य महाप्रबन्धक (हिन्दी) का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

6- उक्त दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निम्नलिखित 3 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

परीक्षा केन्द्रः-

1. राजभाषा विभाग, (मु0), इन्द्रप्रस्थ डिपो परिसर
2. नन्द नगरी प्रशिक्षणशाला
3. पीरागढ़ी डिपो।

7- उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध होंगी। निबन्ध का विषय एवं सुलेख की सामग्री परीक्षा केन्द्र पर ही बतायी जाएगी। कर्मचारी को प्रतियोगी परीक्षा देने से पूर्व उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम, पदनाम, वे0टो0सं0 तथा डिपो/यूनिट/अनुभाग/कार्यालय का उल्लेख अवश्य करना चाहिए ताकि कर्मचारी का प्रशस्ति-पत्र/प्रमाण पत्र तैयार करते समय कोई कठिनाई न हो। कर्मचारी इन परीक्षा केन्द्रों में से अपनी सुविधानुसार परीक्षा की तिथि अनुसार किसी एक परीक्षा केन्द्र पर जाकर इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात किसी भी कर्मचारी को इन प्रतियोगिताओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8- प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

9- प्रशस्ति-पत्र अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

10- कोई भी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है परन्तु उन्हें केवल एक प्रतियोगिता में ही पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी।

11- राजभाषा विभाग, दि0प0नि0 को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबन्ध में और पुरस्कारों की संख्या राशि, स्थान और तिथि एवं समय आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

12- प्रतियोगिता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दूरभाष सं0- 23370236 एक्स. 278 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।